भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1566
जिसका उत्तर मंगलवार, 08 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

आयात को विनियमित करना

1566. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्माण उपकरण निर्माता संघ (आईसीईएमए) ने केन्द्र से आग्रह किया है कि घरेलू क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पुराने उपकरण के आयात को विनियमित किया जाए क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि चीनी कंपनियां चीनी युआन के हाल के अवमूल्यन के बाद अपने उपयोग किए गए निर्माण उपकरणों को भारत में खपाना चाहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सिद्धांत रूप में एकल पत्तन अथवा स्थापित निर्माताओं के माध्यम से आयात को विनियमित करने के लिए अधिसूचना जारी करने पर सहमत हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) से (घ): भारी उद्योग विभाग को पुराने उपकरणों के आयातों के विनियमन के संबंध में भारतीय निर्माण उपकरण निर्माता संघ (आईसीईएमए) सहित विभिन्न केपिटल गुड्स उप-क्षेत्र उद्योग संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। विभाग में ऐसे अनुरोधों पर विचार किया जाता है और योग्यता के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

*****